


29.01.2024:—आज पत्रावली पेशी में लि गई । प्रार्थी वकील उपस्थित । मूल वाद-पत्र राजीनाम अधार पर खारिज हो गया । मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती । मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो ।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

